राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 609/2024

सुशीला देवी —अपीलार्थी

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये शासन सचिव, महिला एवं बाल विकास विभाग, सचिवालय, जयपुर।
2. निदेशक, समेकित बाल विकास सेवाएं एवं पंचायती राज (I.C.D.S.) विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. प्रियंका शर्मा, वर्तमान पदस्थापन स्थान हिण्डौन, जिला करौली।
4. सत्यनारायण नावरिया, वर्तमान पदस्थापन स्थान हिण्डौन, जिला करौली।

—प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 26.02.2024
आदेश की दिनांक : 13.03.2024

उपस्थित –
अपीलार्थी की ओर से : श्री राकेश कुमावत, अधिवक्ता

समक्ष :– चेतन राम देवड़ा, सदस्य
लेखराज तोसावड़ा, सदस्य

आदेश

मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपीलीय अधिकरण) अधिनियम–1976 की धारा–4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।

प्रस्तुत अपील अनुसार अपीलार्थी वर्तमान में बाल विकास परियोजना अधिकारी के पद पर परि0 हिण्डौन, करौली में कार्यरत है। प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 22.02.2024 (अनुलग्नक–1) द्वारा अपीलार्थी का स्थानान्तरण वर्तमान पदस्थापन स्थान से परि0 सवाईमाधोपुर कर दिया गया तथा प्रत्यर्थी संख्या–3 का स्थानान्तरण अपीलार्थी के स्थान पर किया गया। अन्य आदेश दिनांक 22.02.2024 (अनुलग्नक–2) द्वारा निजी प्रत्यर्थी संख्या–4 का स्थानान्तरण अपीलार्थी के स्थान पर किया गया। अपीलार्थी का कथन है कि अपीलार्थी की जन्म दिनांक 31.03.1965 है और अपीलार्थी की सेवानिवृत्ति दिनांक 31.03.2025 को देय है। अपीलार्थी की सेवानिवृत्ति में मात्र 13 माह का समय शेष है (अनुलग्नक–3)। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा डॉ. पुष्पा मेहता बनाम राजस्थान राज्य में पारित आदेश में भी सेवानिवृत्ति में दो वर्ष के भीतर स्थानान्तरण नहीं किए जाने के निर्देश दिए गए है। आलौच्य स्थानान्तरण आदेश दिनांक 22.02.2024 राजस्थान पंचायतीराज

(स्थानान्तरण गतिविधिया) नियम, 2011 के नियम 8(iii) का उल्लंघन करते हुए पारित किया गया है।

अतः अपीलार्थी की अपील स्वीकार की जाकर प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 22.02.2024 (अनुलग्नक–1) एवं 22.02.2024 (अनुलग्नक–2) को अपास्त किया जाकर अपीलार्थी को वर्तमान पदस्थापन स्थान पर निरन्तर कार्य करने दिया जावे।

हमने विद्वान् अधिवक्ता अपीलार्थी की बहस सुनी एवं पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अनुशीलन कर मनन किया गया।

उपलब्ध रिकार्ड के अनुसार अपीलार्थी ने आलौच्य आदेश दिनांक 22.02.2024 (अनुलग्नक–1) के विरूद्ध अपील दायर की, जिसमें अपीलार्थी का स्थानान्तरण परि0 हिण्डौन, करौली से परि0 सवाईमाधोपुर किया है। अपीलार्थी वर्तमान पदस्थापन स्थल पर बाल विकास परियोजना अधिकारी के पद पर सन् 2019 से कार्यरत है। अपीलार्थी का आक्षेप है कि अपीलार्थी का स्थानांतरण पंचायती राज विभाग की सहमति के बिना किया गया है, जो राजस्थान पंचायती राज (अन्तरित क्रियाकलाप) नियम, 2011 के नियम–8(iii) का उल्लघंन है। आलोच्य आदेश दिनांक 22.02.2024 (अनुलग्नक–1) के अवलोकन से स्पष्ट है कि उक्त आदेश निदेशक समेकित बाल विकास सेवाएं एवं पंचायती राज (आईसीडीएस) विभाग द्वारा जारी किया गया है। इस आदेश में यह स्पष्ट रूप से अंकित है कि यह आदेश क्रमांक प4 (2) परावि/सशक्त/2010/28 दिनांक 02.10.2010 के अनुक्रम में विभाग जारी आदेश दिनांक 02.10.2010 तथा तत्पश्चात् जारी आदेश क्रमाक द्वारा एफ 1 (1)(20)/आईसीडीएस/09/97068 दिनांक 08.11.2011 के तहत निर्धारित सक्षम स्तर से अनुमोदित है। इससे पूर्णत यह स्पष्ट है कि आलोच्य आदेश सक्षम स्तर से समुचित अनुमोदन के पश्चात जारी किया गया है। अपीलार्थी द्वारा पत्रावली पर कोई ऐसा दस्तावेज/साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है, जिससे यह प्रमाणित हो कि सक्षम स्तर से वांछित स्वीकृति नहीं की गई है। अतः हम यह पाते है कि आलोच्य आदेश सक्षम स्तर से बिना किसी दुर्भावना के प्रशासनिक आवश्यकताओं के दृष्टिगत जारी किया गया है। जिसमें हस्तक्षेप करने का कोई विधिक आधार नहीं है।

अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील बलहीन एवं सारहीन होने के कारण मय स्थगन प्रार्थना पत्र इसी प्रक्रम पर खारिज की जाती है।

(लेखराज तोसावड़ा)
सदस्य

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य